

प्राचार्य का कार्यालय

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर
आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा प्रहरी की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा

निविदा आमंत्रण

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुरक्षा प्रहरी की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अनुभवी एजेंसी जिनके द्वारा पूर्व में कम से कम तीन सत्रानां/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों अथवा अन्य सरकारी कार्यालय में सुरक्षाप्रहरी की सेवा प्रदान की गई हो तथा नीचे लिखे गए शर्तों का अनुपालन करते हो से एक मुहरबंद निविदा प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर 4:30 बजे अपराहन तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। 21 वें दिन अगर किसी प्रकार दिन 4:30 बजे तक निविदा प्राप्त की जायेगी। बिहार सरकारी गृह (विशेश) विभाग, पटना के पत्रांक-8809 दिनांक-11.08.2015 के आलोक में सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा प्रहरी सेवा उपलब्ध करानी है। टंकित निविदा प्रपत्र दो अलग-अलग मुहरबद लिफाफों में होगी जिसमें एक पर तकनिकी निविदा (लिफाफा-A) एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा (लिफाफा-B) अंकित होगा। दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर प्रेषित करना होगा।

कार्य का व्योरा :-

- प्राचार्य कार्यालय, सभी विभाग, लाईब्रेरी, सेन्ट्रल भंडार, लेक्वर थियेटर, लैब, महिला एवं पुरुष छात्रावास, अतिथिशाला, संपूर्ण महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर एवं कॉलेज कैम्पस में रखें समानों की सुरक्षा करने हेतु चौबीस घंटे सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही प्राचार्य के आदेशानुसार विभिन्न स्थानों जरूरत के मुताबिक आकारिमक सेवा प्रदान करना होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

PR.1646 (Health) 2018-19

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे, कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह-सवेरे।

प्राचार्य का कार्यालय,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा प्रहरी की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा।

निविदा आमंत्रण

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुरक्षा प्रहरी की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अनुभवी एजेंसी जिनके द्वारा पूर्व में कम से कम तीन संस्थानों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों अथवा अन्य सरकारी कार्यालय में सुरक्षाप्रहरी की सेवा प्रदान की गई हो तथा नीचे लिखे गए शर्तों का अनुपालन करते हो से एक मुहरबंद निविदा प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 (इककीस) दिनों के अन्दर 4:30 बजे अपराह्न तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। 21 वें दिन अगर किसी प्रकार दिन 4:30 बजे तक निविदा प्राप्त की जायेगी। बिहार सरकारी गृह (विशेष) विभाग, पटना के पत्रांक-8809 दिनांक-11.08.2015 के आलोक में सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा प्रहरी सेवा उपलब्ध करानी है। टंकित निविदा प्रपत्र दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में होगी जिसमें एक पर तकनिकी निविदा (लिफाफा-A) एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा (लिफाफा-B) अंकित होगा। दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर प्रेषित करना होगा।

कार्य का व्योरा :-

- प्राचार्य कार्यालय, सभी विभाग, लाईब्रेरी, सेन्ट्रल भंडार, लेक्चर थियेटर, लैब, महिला एवं पुरुष छात्रावास, अतिथिशाला, संपूर्ण महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर एवं कॉलेज कैम्पस में रखें समानों की सुरक्षा करने हेतु चौबीस घंटे सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही प्राचार्य के आदेशानुसार विभिन्न स्थानों जरूरत के मुताबिक आकास्मिक सेवा प्रदान करना होगा।
- निविदा (लिफाफा-A) तकनिकी के साथ निम्नांकित कागजात की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है :—
 - निविदा कम्प्यूटराईज्ड होना चाहिए तथा फर्म/प्रतिष्ठान को पूर्ण स्थायी एवं पत्राचार का पता दूरभाष सं0, मोबाइल नं0, ई-मेल आई0डी0 वेबसाईट आदि का व्योरा देना अनिवार्य होगा।
 - अग्रधन राशि के रूप में 50,000.00/- (रु0 पचास हजार मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के पदनाम से देय एवं मुजफ्फरपुर में भुगतेय हो, अनिवार्य है।
 - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
 - कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।


5. फर्म/प्रतिष्ठान को बिहार में सुरक्षा कार्य करने हेतु निबंधन प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. फर्म/प्रतिष्ठान का सोसाईटी एक्ट/रिलीजियन एक्ट/कम्पनी एक्ट से निबंधन प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. फर्म/प्रतिष्ठान का सेवा संबंधित जी०एस०टी० निबंधन भुगतान तथा रिटर्न दाखिल करने की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. फर्म/प्रतिष्ठान का PAN CARD की छायाप्रति एवं तीन वर्षों का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. संबंधित संस्थान का विगत 03 (तीन) वर्षों टर्न ओवर समेकित रूपये न्यूनतम 1,00,00,000/- (एक करोड़ मात्र) होना चाहिए। साथ ही विगत 03 (तीन) वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट/आय—व्यय की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. फर्म/प्रतिष्ठान का बिहार सरकार गृह विभाग से निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने की अनुज्ञाप्ति प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता का नोटरी पब्लिक से अपने संस्थान/फर्म को काली सूची में नहीं होने का शपथ—पत्र देना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता को सरकारी, गैर—सरकारी, अस्पताल/महाविद्यालय में कार्य करने का कार्यादेश/एकरारनामा एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्य के लिए चयनित होने पर एजेन्सी को अपने सभी कर्मियों का आचरण प्रमाण—पत्र एवं फौज से भगोड़ा न होने का व्यक्तिगत (Personal) शपथ—पत्र देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा (लिफाफा—B) :-

सुरक्षा कर्मी के पारिश्रमिक भुगतान की दर श्रम संशाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर, सेवा जी०एस०टी०, इ०पी०एफ०, ई०एस०आई० एवं सभी कर सहित प्रति सुरक्षा कर्मी लाठी एवं गनमैन तथा सुपरवाईजर का प्रतिदिन/प्रतिमाह (26 दिनों का) भुगतेय पारिश्रमिक का उल्लेख अलग—अलग करना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्त :-

1. सुरक्षा गार्ड एक्स—आर्मी मैन होना अनिवार्य होगा।
2. निविदा स्वीकृत होने पर सभी सुरक्षा कर्मी (एक्स—आर्मी मैन) का पेंशन बुक की छायाप्रति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।


 प्राधार
 श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय

 मुजफ्फरपुर
 ०३१२०१८